संख्या- 20 / 2022 / 2391/ चार-2021

प्रेषक,

विनय श्रीवास्तव,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय,उ0प्र0
जवाहर भवन, लखनऊ।

संस्कृति अनुभाग: लखनऊ: दिनांक 25 जनवरी, 2022

विषय:- वृन्दावन शोध संस्थान वृन्दावन (मथुरा) के भवन का जीर्णोद्धार एवं नव निर्माण आदि कार्यो के सम्बन्ध में पुनर्विनियोग।

महोदय,

उपर्यक्त विषयक आपके पत्र संख्या-3190/सं0नि0-6(120)/2016-17, दिनांक 30नवम्बर, 2021 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 में वृन्दावन शोध संस्थान वृन्दावन (मथुरा) के भवन का जीर्णोद्धार एवं नव निर्माण आदि कार्यो हेतु रू0 498.38 लाख (जी0एस0टी0 सहित) की संशोधित प्रशासकीय स्वीकृति तथा मद संख्या-14-वृन्दावन शोध संस्थान, वृन्दावन के भवन का जीर्णोद्धार, 24 -वृहद निर्माण कार्य मद में रू0 173.38 लाख (रूपये एक करोड़ तिहत्तर लाख अड़तिस हजार मात्र) की संलग्न विवरण के अनुसार पुर्नविनियोग के माध्यम से वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2- संस्कृति निदेशालय द्वारा समस्त औपचारिकतायें एवं वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3- बचत की धनराशि संस्कृति निदेशालय द्वारा सुनिश्चित की जायेगी।

4- जिस मद में पुनर्विर्नियोग किया जा रहा है, उसका सदुपयोग इसी वित्तीय वर्ष में कर लिया जायेगा।

5- जिस मद से पुनर्विनियोग किया जा रहा है, उस मद में अतिरिक्त धनराशि की मॉग नहीं की जायेगी।

6- संस्कृति निदेशालय द्वारा आवश्यकतानुसार ही व्यय सुनिश्चित किया जायेगा।

7- स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण नियमानुसार किया जायेगा । चालू वित्तीय वर्ष में प्राविधानित /स्वीकृत धनराशि का उपयोग हो जाने के पश्चात ही इस धनराशि का आहरण किया जायेगा/ धनराशि आहरित करके बैंक/पोस्ट आफिस में जमा नहीं की जायेगी ।

8- उक्त स्वीकृति इस प्रतिबन्ध के अधीन है कि उपरोक्त स्वीकृत धनराशि स्वीकृत मदों में व्यय की जायेंगी, अन्य मदों पर व्यय हेतु कदापि उपयोग नहीं की जायेगी । यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि इन धनराशियों का प्रदेशन ही अकेले किसी प्रकार के व्यय करने का अधिकार नहीं देता, व्यय करने के लिए बजट मैनुअल और वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत नियमों अथवा अन्य स्थाई आदेशों से शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की, जहॉ आवश्यकता हो, व्यय करने के पूर्व स्वीकृति प्राप्त कर ली जाय।

9- उपर्युक्त स्वीकृति से सम्बन्धित व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक अनुदान संख्या- 92 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-4202-शिक्षा,खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूॅजीगत परिव्यय-04-कला तथा संस्कृति-800-अन्य व्यय-16 फैजाबाद में संकुल का निर्माण -24 वृहत निर्माण कार्य मद में उपलब्ध बचतों को संक्रमित कर लेखाशीर्षक-4202-शिक्षा,खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूॅजीगत परिव्यय-04-कला तथा संस्कृति-800-अन्य व्यय-14-वृन्दावन शोध संस्थान, वृन्दावन के भवन का जीर्णोद्धार - 24 - वृहद निर्माण कार्य मद के नामे डाला जायेगा।

10- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021 , दिनांक 22 मार्च, 2021 में प्राप्त दिशा निर्देशों के अन्तर्गत प्रशासकीय विभागों को प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
(विनय श्रीवास्तव)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

संख्या- 20 /2022 / 2391 (1)/चार-2021 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार, (लेखा व हकदारी) प्रथम, उ0प्र0 प्रयागराज।
2- वित्त नियंत्रक, संस्कृतिनिदेशालय , उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ ।
3- मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- निदेशक, वृन्दावन शोध संस्थान, वृन्दावन (मथुरा)।
5- प्रबंध निदेशक, उ0प्र0 राज्य निर्माण सहकारी संघ लि0, जी-4/5 बी, सेक्टर-4, गोमती नगर, विस्तार, लखनऊ।
6- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-7/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/ नियोजन अनुभाग-4, उ0प्र0 शासन।
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से
(विनय श्रीवास्तव)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।